कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री बी0एच0इ0एल0,झाँसी ।**

प्रा0प0सं0- **31/2009**

प्रार्थी की ओर से- **श्री सी0एन0सारस्वत,मैनेजर (वित्त)**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अन्तर्गतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 20-03-2009 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा **ट्रांसफार्मर पार्टस एवं एसेसरीज** पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है तथा **ट्रांसफार्मर पर करदेयता घट्य कर 4 प्रतिशत** करने का अनुरोध किया गया है।

2- व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर, झाँसी जोन, झाँसी से पत्र संख्या-2047 दिनांक 24-03-2009 से आख्या मांगी गयी जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री सी0एन0सारस्वत,मैनेजर (वित्त)उपस्थित हुयें और उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया ।

4- मेरे द्वारा व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुना गया। ट्रांसफार्मर पार्टस एवं एसेसरीज प्रारम्भ से ही किसी भी अनुसुची में न होने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य रहे है।सर्वश्री टी0आर0इण्डस्ट्रीज,तिवारी गंज, इण्डस्ट्रियल एरिया,फैजाबाद रोड,लखनऊ (प्रार्थना पत्र संख्या-306/08) के मामले में तत्कालीन कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा निर्णय दिनांक 08-08-08 से ट्रांसफार्मर पार्टस पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी थी । अतः उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत वाद में भी लागू होता है। पूर्व में ट्रांसफार्मर पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की अनुसुची-2 भाग-क के कमांक 126 में आने के कारण 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य थे परन्तु शासकीय विज्ञप्ति संख्या-2758 दिनांक 29-09-08 द्वारा उक्त प्रविष्टि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की अनुसुची-2 भाग-क के कमांक 126 विलोपित होने के कारण दिनांक 29-09-08 के पश्चात ट्रांसफार्मर पर अवर्गीकृत की भांति 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता बन गयी ।अतः अनुसुची-5 के अन्तर्गत ट्रांसफार्मर पार्टस एवं एसेसरीज पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

जहाँ तक ट्रांसफार्मर पर करदेयता 12.5 प्रतिशत से कम करके 4 प्रतिशत करने का प्रश्न है ,यह धारा-59 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है अतः उक्त प्रश्न धारा-59 के अन्तर्गत ग्राहय नहीं है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को ,एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

दिनांकः: 02 जून,2009

ह0/2-6-09

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।